Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.P.S.E.-4

आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन

(Modern Indian Social and Political Thought)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Arun Chatterjee,* **M.A. (Pol. Sc.)**

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 400/-

Content

आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन

(Modern Indian Social and Political Thought)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2023 (Solved) 1
Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-2
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

1. भारत में पूर्व-आधुनिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन : विभिन्न दृष्टिकोण 1
2. प्राच्यविद् कथन (आरम्भिक चिंतन) और औपनिवेशिक आधुनिकता 13
3. आधुनिक भारत में राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएँ 27
4. पूर्व राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएँ : राममोहन राय, बंकिम चन्द्र चटर्जी, दयानन्द सरस्वती और ज्योतिबा फुले 54
5. नरमपंथी और उग्रपंथी : दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और बाल गंगाधर तिलक 65
6. हिन्दू धर्म : स्वामी विवेकानन्द और श्री अरविन्द घोष 88

7. हिन्दुत्व : वी.डी. सावरकर और एम.एस. गोलवलकर 104

8. मुस्लिम चिंतन : सर सैयद अहमद खान, मौहम्मद इकबाल, ... 123
मौलाना मौदुदी और मौहम्मद अली जिन्ना

9. राष्ट्र और पहचान सम्बन्धी मुद्दे : ई.वी. रामास्वामी नायकर, नज़रूल इस्लाम, ... 129
पंडिता रमाबाई, जयपाल सिंह, काहन सिंह

10. मोहनदास करमचन्द गांधी 134

11. जवाहरलाल नेहरू 158

12. बी.आर. अम्बेडकर 178

13. रवीन्द्रनाथ टैगोर 205

14. साम्यवादी विचारधारा : एम.एन. राय और ई.एम.एस. नम्बूदिरिपाद 217

15. समाजवादी विचारधारा : राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण 238

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन

M.P.S.E.-4

(Modern Indian Social and Political Thought)

समय : 2 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 50*

नोट : *कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये, प्रत्येक भाग में से कम से कम दो प्रश्न चुनिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीतिक के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, प्रश्न 1 तथा पृष्ठ-5 प्रश्न 3

प्रश्न 2. महिलाओं के उद्धार में पंडिता रमाबाई के योगदान की चर्चा कीजिए।

उत्तर–पंडिता रमाबाई ने ब्राह्मणवादी जीवन-शैली अपनाते हुए इसके कुछ प्रमुख सिद्धान्तों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने कठिन दिनों में भी संस्कृत और पुराणों का अध्ययन किया। वे हिन्दू धर्म की विदुषी थीं, जिन्होंने दार्शनिक पूर्व-धारणाओं विशेषकर महिलाओं के सम्बन्ध में अपने मतभेदों और बाद में ईसाई धर्मांतरण महिला के रूप में ईसाई धर्म सिद्धान्त के विरुद्ध विद्रोह किया।

इसे भी देखें–संदर्भ–अध्याय-9, पृष्ठ-131 प्रश्न 2

प्रश्न 3. वी.डी. सावरकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-107, प्रश्न 4

प्रश्न 4. राजा राममोहन रॉय और ज्योतिबा फुले के राजनीतिक विचारों की तुलना और विपरीतता स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-61, प्रश्न 4

प्रश्न 5. मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत में मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-126, प्रश्न 4

भाग-II

प्रश्न 6. द्रविड़ आन्दोलन के उदय में ई.वी. रामास्वामी नायकर के योगदान पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-130, प्रश्न 1

प्रश्न 7. जाति व्यवस्था और उसके विनाश पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों की जाँच कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-193, प्रश्न 16

प्रश्न 8. एम.के. गांधी के औद्योगीकरण की आलोचना और स्वदेशी के लिए उनके समर्थन का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-137, प्रश्न 3

इसे भी देखें–गांधी जी औद्योगीकरण के विरोधी होते हुए भी उस सीमा तक मशीनों के प्रयोग की अनुमति देते। जहां तक कि सम्पूर्ण समाज के हित में बाधक न हो। वे ऐसी मशीनों का प्रयोग नहीं चाहते थे, जो विनाशकारी और शोषण को प्रोत्साहन देने वाली हो। उदाहरणार्थ, तोप, बन्दूक, मशीनगन व बम आदि विनाशकारी हैं; अतः इनका निर्माण सर्वथा त्याज्य है।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि रेल, जहाज, सिलाई मशीन, हल, बरखा, फावड़ा आदि मशीनों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि वे मनुष्य के लिए आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं। उनका कहना था कि 'यान्त्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनों का व्यवहार कर लाखों लोगों को बेकार कर देना मेरी दृष्टि में अपराध है।' अतः उनके अहिंसा प्रधान राज्य में जीवन बहुत सरल होगा और जनता की आवश्यकताएँ भी कम होंगी, जिनकी पूर्ति सरलता से हो सकेगी। ऐसे वातावरण में ग्रामीण सभ्यता का प्रादुर्भाव होगा, इससे सबसे प्रमुख लाभ यह होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों और तनाव का अन्त हो जाएगा। समाज छोटी-छोटी इकाइयों में बँट जाएगा। दैनिक आवश्यकता की सारी चीजें स्थानीय कुटीर उद्योगों से प्राप्त हो जाएँगी। छोटे धन्धे गाँवों में सशक्त नवयुवक को काम मिल सकेगा, तो निश्चित रूप से औद्योगिक पूँजीवाद की प्रतियोगिता समाप्त होकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना हो सकेगी।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

अहिंसा और विकेन्द्रीकरण पर आधारित सामाज में दूसरे समाजों की स्वतन्त्रता और सुरक्षा को कोई भय नहीं होगा।

गांधी जी एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, अत: उन्होंने मनुष्य की दुर्बलताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुभव किया चूँकि राज्यविहीन समाज एक सुदूर दैविक घटना है, इसलिए भारी यातायात और यान्त्रिक उद्योगों को बन्द करना सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के उद्योगों को कुटीर उद्योगों की प्रतिद्वन्द्वी न होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था केन्द्रित और औद्योगिक व्यवस्था के दुर्गुणों के विरुद्ध चेतावनी देकर एक ऐसी विकेन्द्रित व्यवस्था चाहती है, जिससे कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का विकास हो सके, साथ ही पूँजीपति नैतिकता का पालन करते हुए स्वयं को पूँजी का संरक्षक समझें न कि स्वामी।

प्रश्न 9. वैज्ञानिक मानवतावाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू की समझ का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-159, प्रश्न 1

प्रश्न 10. स्वतंत्रतापूर्व भारत में समाजवादी आन्दोलन के विकास का पता लगाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-15, पृष्ठ-239, प्रश्न 1

■■

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन
(Modern Indian Social and Political Thought)

भारत में पूर्व-आधुनिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चिंतन : विभिन्न दृष्टिकोण

1

परिचय

राज्य, समाज और शासन परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और अतीत में अवलोकन से ज्ञात होता है कि ऐसा समय भी था, जब लोग नातेदारी सम्बन्धों के आधार पर छोटे-छोटे समूहों में रहते थे तथा लोगों के जीवन पर नियन्त्रण करने के लिए किसी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किन्तु जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई तो लोगों के विभिन्न समूहों में संघर्ष में वृद्धि के साथ ही शासक की आवश्यकता अनुभव की गई, जो अपने लोगों को आरक्षण दे सके और जिसके आदेश का सभी पालन कर सकें। अत: लोगों के समूहों के एक साथ आ जाने से समाज अस्तित्व में आया और फिर शासन कला का उदय हुआ। इसलिए समाज की सामूहिक आवश्यकताओं ने राज्य और शासन से जुड़ी विभिन्न संरचनाओं और सिद्धान्तों को जन्म दिया।

सामाजिक संरचनाओं पर **रोमिला थापर** ने दो पुस्तकें 'लिनियेज सोसाइटी' और 'हिस्ट्री एण्ड बियोंड' लिखी हैं। उनका वंश परम्परा से आशय समाज की मूल इकाई विस्तृत परिवार था, जिस पर परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का नियन्त्रण होता था, साथ ही परिवार का आकार अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर निर्भर हुआ करता था और वंश सम्बन्ध के कारण ही परिवार एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। सगोत्रों और धन-सम्पदा के कारण शासक और शासित के बीच समाज में अन्तर आया।

वैदिक काल वंश परम्परा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था, किन्तु कालान्तर में समाज में बढ़ते हुए स्तरीकरण से राज्य के निर्माण की प्रवृत्ति का पता चला और राज्य के शासन का मुद्दा समाज का प्रमुख विषय हो गया। महाभारत के 'शांति पर्व' में 'मत्स्य न्याय' का उल्लेख है, जहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती थीं। यह समाज की उस अराजक स्थिति का उदाहरण है, जिसमें समाज में शासन व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। अत: संकट से बचने और कानून प्राप्त करने हेतु लोग सामूहिक रूप से सहमत हो गए और उन सभी ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि वह उन्हें ऐसा राजा प्रदान करें, जिससे समाज में कानून व्यवस्था बनी रह सके। 'सामाजिक समझौता' सिद्धान्त के अन्तर्गत यह तर्क दिया गया कि लोग आपस में समझौता कर अपने लिए एक ऐसा व्यक्ति चुन लें, जिसे समाज की रक्षा करने का अधिकार हो और जिसके आदेश का सभी पालन करें।

'मनुस्मृति' में राजनीतिक सत्ता का प्रबल समर्थन किया गया है, जिसके अनुसार राजनीतिक सत्ता न होने पर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अत: राजा का यह कर्त्तव्य है कि इस समाज में न्याय सुनिश्चित करे और दुर्बलों की रक्षा करे। जातिवाद की भ्रान्ति दूर करने और कमजोरों की रक्षा करने से राजा पृथ्वी पर (इहलोक में) और मृत्यु के बाद (परलोक में) फलता-फूलता है। मनु ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि राजा को ईश्वर से सत्ता प्राप्त है, फिर भी व्यवहार में उसे ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लेना चाहिए,

www.neerajbooks.com

क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान है और राजा को इस ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। मनु ने जो गाँवों, जिलों और प्रान्तों के अनुसार राज्य की संरचना बताई वह आज के प्रशासन की संरचना से काफी मिलती-जुलती है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, "राजा को अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण कर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अपने जीवन को किसी भी भय से सुरक्षा और अपने सभी सलाहकारों और पुरोहितों के चयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।" कौटिल्य ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह किसानों को उत्पीड़न से बचाए और अनाथों, वृद्धों एवं असहायों की देखभाल करे। प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है और उसे सभी के हित के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो जनता का समर्थन खो सकता है। साथ ही राजा की शक्ति का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राज्य के नियमों की अवहेलना करता है, तो राजा को उसे दण्ड देने का अधिकार है।

बरनी के अनुसार, ''राजा को अपने राज्य के शासन हेतु स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए, जिससे वह ईश्वर के निकट पहुँच सके। धर्म और राज्य का कल्याण एक अच्छे राज्य का आदर्श होना चाहिए और राजा का मार्गदर्शन बुद्धिमान लोगों को करना चाहिए।'' राजा के दरबार में कुलीन व्यक्तियों से उसका सम्मान बढ़ेगा, किन्तु यदि वह अकुलीन व्यक्तियों का पक्ष लेता है तो उससे राजा को इहलोक और परलोक दोनों में ही अपमान का सामना करना पड़ेगा। सल्तनत दो स्तम्भों प्रशासन और विजय पर आधारित है और सेना पर ये दोनों स्तम्भ टिके हुए हैं। **बरनी** के अनुसार, ''शरीयत लागू करने के साथ-साथ न्याय प्रदान करना राजा का अनिवार्य कर्त्तव्य है। कानून लागू करना और उसका पालन करना राजा का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए।" कानून के चार स्रोत हैं (क) कुरान, (ख) हदीस, (ग) इज़मा, (घ) कियास।

अबुल फजल के अनुसार, ''एक सच्चे राजा को अपने बारे में नहीं सोचकर प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। एक सच्चा शासक प्रजा के लिए पिता तुल्य है, जिसका मार्गदर्शन अल्लाह करता है।"

महात्मा गांधी और मौलाना आजाद दोनों ही धर्म को राजनीति से पृथक् नहीं मानते, क्योंकि धर्म और राज्य हमारे राजनीतिक दर्शन में घुले-मिले हैं। इतिहास साक्षी है। भारत की अद्‌भुत सभ्यता का, जिसने विभिन्न धार्मिक परम्पराओं को आत्मसात किया है। प्रत्येक धर्म नैतिक मूल्यों और एक-दूसरे के प्रति और अंततः समाज के प्रति कर्त्तव्य की बात करता है। ईमानदारी, विनम्रता, परमार्थ के गुण और निर्धनों के लिए दया आदि का उल्लेख विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं की शिक्षाओं में निहित है।

डॉ. एस. राधाकृष्णन के अनुसार, ''पंथनिरपेक्षता का अर्थ हमारी धार्मिक परम्परा पर आधारित है और अतीत पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के दिनों में हमारे समाज के एक वर्ग ने मूल सत्य को अनुभव करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को ढूढ़ना आरम्भ कर दिया था और इस खोज के फलस्वरूप ही जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसी प्रकार, जब इस्लाम भारत में आया तो कुछ लोगों द्वारा उसे राज्यधर्म बनाए जाने का प्रयास किया गया, किन्तु सूफीवाद या अकबर का तौहीदे इलाही अस्तित्व में आया, जिसने सर्वमुक्तिवाद पर बल दिया। सूफी आदेशों का सिख गुरुओं की शिक्षाओं पर प्रभाव पड़ा। गुरु नानक के अनुयायियों में हिन्दू और सिख दोनों ही थे। शिवाजी के बारे में एक मुस्लिम इतिहासकार लिखता है कि शिवाजी ने सैन्य अभियान के दौरान मुस्लिमों के विरुद्ध किसी भी अपमानजनक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया। यदि उनके सैनिकों को कुरान की कोई प्रति मिलती थी तो उसे मुस्लिमों को आदरपूर्वक वापस कर दिया जाता था।

स्वपरख-अभ्यास-प्रश्न

प्रश्न 1. प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर प्राचीन भारत और राजनीतिक चिंतन वैदिक काल में राजतन्त्र एक व्यापक संस्था के रूप में विद्यमान था और राजा एक या अनेक राष्ट्रों के ऊपर शासन करता था। कुछ विद्वानों ने वेद में वर्णित राष्ट्र शब्द का आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त 'नेशन' या 'स्टेट' शब्द से समान अर्थ ग्रहण किया है। किन्तु अधिकांश भारतीय विद्वानों के विचारानुसार वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का आशय जनपदीय अथवा क्षेत्रीय से था। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्राचीन भारत में राजतन्त्र का विकास इसलिए हुआ, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था पितृ-प्रधान थी। प्रसिद्ध विद्वान **जीमर** के अनुसार, ''आर्यों की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी।"

वैदिक मन्त्रों में राजशक्ति की वृद्धि के लिए प्रार्थनाएँ की गयी हैं। उस समय युद्धों में विजय प्राप्त करने हेतु क्षत्र या क्षत्रशी की कामना की गयी है। इस युग में इन्द्र देवता का विशेष महत्त्व था और उन्हें प्रसन्न इसलिए किया जाता था कि युद्धों में विजयश्री प्राप्त हो सके। अतः इन्द्र और वरुण को राजा की उपाधियाँ दी गयीं। वैदिक काल में सम्भवतः राजा का चुनाव किया जाता था, किन्तु यह चुनाव समूची जनता द्वारा होता था या फिर कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा इसमें विवाद है। **जीमर** के अनुसार, कुछ हिस्सों में निर्वाचन प्रथा थी तो कुछ हिस्सों में वंश परम्परा कायम थी। वेदों में राष्ट्र के दृढ़ होने और राजा की कामना के लिए प्रार्थना की गई है।

'कौशिक सूत्र' में भी राजाओं के बहिष्कृत होने और फिर उनके शक्ति प्राप्त करने का उल्लेख है। वैदिक साहित्य के प्रथम हिस्से में राजा के विधि-निर्माणकारी अधिकारों का उल्लेख नहीं है, जो मौर्य काल में एक विशेष अधिकार बन गया। ऋग्वेद में भी

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

राजा के दीवानी और फौजदारी अधिकारों का उल्लेख नहीं है। अर्थात राजा के न्याय करने की शक्ति उस समय सीमित थी।

वैदिक काल में समिति एक अत्यन्त शक्तिशाली संस्था थी। सभी वृद्धों और शक्तिशाली पुरुषों की परिषद थी।

ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से लेकर मगध साम्राज्य के उदय तक दो मुख्य राजनीतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है

1. सभा और समिति के पतन के साथ-साथ राजा की शक्ति का विकास हुआ तथा इस युग में गणतन्त्रों का उदय हुआ और चौथी व पाँचवीं ईसा पूर्व शताब्दी में गणतन्त्रों ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। ऋग्वेद में सम्राट शब्द का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार पश्चिमी देशों में साम्राज्य पाया जाता था। मध्य देश कुरु और पांचाल में भी राज्य का अस्तित्व था। उत्तर कुरु और उत्तरमदों में वैराज्य नाम का शासनतन्त्र अस्तित्व में था। पश्चिम में 'स्वराज्य' नामक प्रथा वर्तमान में थी और दक्षिण में भौज्य नामक प्रणाली अस्तित्व में थी। अत: राजकीय प्रक्रिया अत्यन्त विकसित थी।
2. रामायण, महाभारत और वैदिक ग्रन्थों के अनुसार वेदकालीन समिति की समाप्ति हो चुकी थी और सभा राजा के द्वारा नियुक्त लोगों की परिषद के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। जनता का दैनिक व्यावहारिक जीवन परम्परागत धर्म और स्वधर्म की भावना द्वारा नियंत्रित होता था। अत: राजकीय शक्ति का जनता के दैनिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं था और ऐसा हस्तक्षेप केवल युद्ध आदि के समय ही सम्भव था।

मगध के शक्तिशाली सम्राटों ने धीरे-धीरे पूर्वी और उत्तरी भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। मगध के शक्तिशाली नन्दों के प्रभाव के कारण ही सिकन्दर की सेना पूर्व की ओर न बढ़ सकी और सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस को हराकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने 326 ईसा पूर्व में मगध राज्य की नींव डाली। बिन्दुसार और अशोक ने इस साम्राज्य को मजबूत किया।

कौटिल्य के अनुसार वेद की मर्यादा की रक्षा करते हुए स्वधर्म का पालन अति आवश्यक है और जो राजा विद्या से विभूषित हो, वह पृथ्वी का राज्य भोग सकता है। राजतन्त्र अन्य की सहायता से ही चल सकता है और इसके लिए मन्त्री व मन्त्रिपरिषद का होना अत्यन्त आवश्यक है, कृषि की रक्षा करना राजा का परम कर्त्तव्य है तथा इहलोक व परलोक की रक्षा उचित दण्ड से ही सम्भव है और यदि पुत्र ने भी दोष किया है तो वह भी दण्ड का भागीदार है। धर्म, व्यवहार, संस्था और न्याय इन्हीं के द्वारा भूमि का जप हो सकता है। चाणक्य ने सात प्रकृतियाँ स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दण्ड, कोश और मित्र बताईं, जिनकी सहायता से नरपति पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है।

अशोक के अनुसार राजतन्त्र को नियन्त्रित करने के तीन सूत्र हैं

1. राजा को सदैव प्रमाद रहित होकर घोर उद्यम करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार बड़े-बड़े कार्य सिद्ध होते हैं।
2. यदि राजा सभी का हित साधन करता है तो वह अपना ही ऋण अदा करता है।
3. प्रजा राजा की सन्तान है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख निहित है।

अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों को विश्वासपात्र धात्री के सुपुर्द करती है, उसी प्रकार से मैं भी राजकीय अधिकारियों को अपनी प्रजा सौंप रहा हूँ। अत: ऋग्वेद काल से लेकर मौर्य साम्राज्य के अन्त तक भारतीय राजतन्त्र धार्मिक आदर्शवाद से प्रभावित रहा है। साथ ही भारतीय राजतन्त्र कर्मवाद प्रधान रहा है, जो कर्मयोग की शिक्षा देता है।

उपनिषद काल में राजकीय आदर्शवाद अपने चरम पर था क्षत्रशक्ति और ब्रह्मशक्ति का एकीकृत विकास करना इस युग का परम उद्देश्य था। इस कार्य को करने में राजा जनक अग्रणी रहे हैं, जो राजकार्य में निपुण थे और उपनिषिद ब्रह्म का भी उन्हें ज्ञान था। इस युग में ब्रह्मवादी दर्शन के विकास और संवर्धन में क्षत्रिय राजाओं की भूमिका अति महत्त्वपूर्ण थी। राजर्षिवाद इस काल का महान संदेश रहा है और राजनीति की उपेक्षा कदापि नहीं करनी है, अन्यथा वर्णसंकट हो जाएगा। किन्तु फिर भी राजनीति ही सब-कुछ नहीं है, बल्कि राजनीति के पीछे और परे व्यापक सत्य को प्राप्त करना है। अत: यदि केवल राजनीति में संलिप्त रहा गया तो फिर अनेक प्रकार की ऐषणाएँ हमारा संहार कर लेंगीं। उपनिषद काल में प्राचीन उत्तर भारत में राजतन्त्र की दो विशेषताएँ रही हैं (1) गणतन्त्रीय परम्परा (2) साम्राज्यवादी परम्परा।

वैशाली नगर का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है और रक्षा करने के लिए इस नगर को तिहरे परकोटों से घेरा गया था, जिनमें जहाँ-तहाँ गोपुर और बड़े-बड़े द्वार बने हुए थे। वज्जियों के प्रत्येक ग्राम के नेता को राजा कहा जाता था। तत्कालीन पाली और प्राकृत साहित्य में ऐसे 7007 राजाओं, उपराजाओं और उनके सेनापति का उल्लेख है। ये 7007 राजा अपने ग्रामीण कार्यों के संचालन में स्वतन्त्र थे। राज्य के वृहद् प्रश्नों के समाधान और संचालन हेतु एक परिषद थी, जिसके प्रधान का चुनाव किया जाता था।

मगध का राजा अजातशत्रु साम्राज्यवादी था और राज्य व धनलोलुपता के कारण वह लिच्छविगण पर अपना अधिकार करना चाहता था। किन्तु अपने इस प्रयास में असफलता प्राप्त होने के कारण वह आक्रमण की तैयारी करने लगा। उस समय गौतम बुद्ध गृध्रकूट में निवास कर रहे थे। अजातशत्रु ने सिद्धार्थ का विचार जानने के लिए अपने अमात्य सुनीध और वस्सकार को उनके पास

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

भेजा। गणतन्त्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए सिद्धार्थ ने सात नियम घोषित किए थे

1. परिषद की सभा नियमपर्वूक हो और अत्यधिक सदस्य उसमें भाग लें। जब तक ऐसी सभा होती रहेगी, तब तक गणतन्त्र विकास करते रहेंगे।
2. सामूहिक एकता को दृष्टिगत रखते हुए सभाओं में एकत्र होना चाहिए और मिलकर परिश्रम करना चाहिए।
3. विधान का निर्माण नियमपूर्वक होना चाहिए। आज्ञा कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। बने हुए कानून को तोड़ना उचित नहीं है और पुराने धर्मों के अनुसार ही वर्तमान कार्यभार को सम्पादित करना चाहिए।
4. ज्ञानी और वृद्ध लोगों का सत्कार होना चाहिए और उनके आदेशों का पालन होना चाहिए।
5. कुल स्त्रियों और कुल कुमारियों का पूरा सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार से उनका अपमान न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
6. परम्परा प्राप्त चैत्यों का सत्कार होना चाहिए और पहले से दी हुई उनकी धर्मानुकूल बलि नही लेनी चाहिए।
7. अर्हतों की रक्षा करनी चाहिए और बाहर के अर्हतों को राज्य में आने की सुविधा होनी चाहिए, जिससे वे लोग राज्य में उपदेश और भ्रमण कर सकें।

बौद्ध साहित्य, भगवद्गीता और महाभारत में राजनीति के बड़े-बड़े और गम्भीर विवेचन हैं।

जनसंघ के समय में प्राचीन भारत में राजनीतिक समष्टियों के निर्माण की परम्परा थी। बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापदमनन्द और चन्द्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्यवाद का विस्तार किया और इसे दृढ़ता प्रदान की। चन्द्रगुप्त मौर्य जो की मोरिय नामक संघ-राज्य का निवासी था, ने तक्षशिला के चाणक्य के साथ मिलकर थुनानियों को भारत से निकाल दिया।

चाणक्य के ग्रन्थ 'अर्थशास्त्रम्' में व्यापक और गूढ़ राष्ट्रीय जीवन का वर्णन है तथा युद्धनीति और शान्ति दोनों का ही इसमें अत्यन्त मनोरम वर्णन है। चाणक्य के अनुसार राजा को अपने स्वधर्म का सदैव ही पालन करना चाहिए। दण्ड हमेशा उचित लेना चाहिए। राजकीय दण्ड शक्ति का अप्रयोग मत्स्यन्याय की अवस्था उपस्थित करता है, किन्तु विनयविरुद्ध दण्ड नाश की ओर ले जाता है। धर्म और विनय के लिए ही दण्ड की व्यवस्था है।

अशोक का विचार था कि राज्यकार्य का प्रयोग धर्म और संस्कृति के लिए होना चाहिए। उन्होंने सीरिया के राजा अन्तियोक द्वितीय, मिस्र के राजा प्तोलमाय फिलादेल्फोस और मकदूनिया तथा पश्चिमी एशिया के राजाओं के पास अपने धर्म सन्देश भेजे।

अशोक के पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा धर्म कार्य के लिए पटना के 'महेन्द्रघाट' से सिंहलद्वीप गए थे।

'महाभारत' के अनुसार मगध निवासी जरासन्ध ने एक पराक्रमी राज्य की स्थापना का यत्न किया। श्रीकृष्ण के साथ उसकी शत्रुता थी और भीमसेन के द्वारा उसकी मृत्यु हुई।

मुगल राजा हुमायूँ को बक्सर और कन्नौज में शेरशाह से हार का सामना करना पड़ा और प्राय: पन्द्रह वर्षों तक हुमायूँ को जंगलों में जीवन बिताना पड़ा। शेरशाह ने अपने प्रशासन को 47 सरकारों में बाँटा था और एक-एक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के महत्त्व को स्वीकार करते हुए प्रत्येक परगना में एक हिन्दू और एक मुसलमान लेखक की व्यवस्था की थी, जो जमा खर्च लिखते थे। सरकारी अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई थी। कर व्यवस्था के लिए शेरशाह ने जमीन का सर्वेक्षण कराया और कृषकों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कर वूसली का प्रबन्ध कराया। कर व्यवस्था में पटवारी, अमीन, कानूनगो, मकदम, शिकदार आदि की सहायता ली जाती थी। प्रत्येक सरकार में एक शिकदार-ए-शिकदारा और एक मुंसिफ-ए-मुंसिफान की व्यवस्था की गई। पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था कर कृषकों के अधिकारों के संरक्षण की ओर उचित ध्यान दिया गया। न्याय के क्षेत्र में शेरशाह ने समता की नीति का अवलम्बन करते हुए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बंगाल से लेकर पंजाब तक प्राय: दो हजार मील लम्बी सड़क का निर्माण कराया, जिसे अब ग्रान्ड ट्रंक रोड (G.T. Road) कहते हैं।

प्रश्न 2. मध्यकाल के दौरान सम्प्रभु सत्ता (राज सत्ता) के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विचारों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर इस्लाम के आगमन से पूर्व भारत की राजनीतिक संरचना केवल एक ग्रन्थ के दर्शन और विश्वास पर आधारित नहीं थी, अपितु विभिन्न धार्मिक परम्पराओं ने प्राचीन भारत में राजनीतिक परम्पराओं के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। इस्लामी चिंतन कुरान पर आधारित शरियत को अन्तिम सत्ता मानता है और राज्य का उद्देश्य शरियत को लागू करना है। इस्लाम में शासन के मामलों में मुस्लिम विशिष्ट वर्ग पर राजनीतिक विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। मुस्लिम शासनकाल के दौरान भारत में शासन के भेद सम्बन्धी दो प्रामाणिक पुस्तकों 'फतवा-ए-जहांदारी और 'आइने अकबरी' में मध्यकालीन भारत के प्रभावशाली रुझान के बारे में जानकारी मिलती है। ख्वाजा जियाउद्दीन बरनी ने 'फतवा-ए-जहांदारी' लिखी। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपने पूर्व वृत्तान्त 'तारीखे फिरोजशाही' के आधार पर सल्तनत के राजनीतिक दर्शन विचार प्रकट किया है। कुछ विद्वानों ने बरनी के विचारों को धार्मिक कट्टरवादिता का जामा पहना दिया है।

मध्यकाल में राजतन्त्र से जुड़े बरनी के विचार अति प्रासंगिक हैं। उनके अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राज्य की सभी शक्तियों और कार्यों का स्रोत है। राजा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु, जो भी साधन अपनाता है, वे केवल तब तक ही सही हैं, जब तक कि उसका लक्ष्य धर्म की सेवा करना हो।

www.neerajbooks.com